न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्री विकास पंचोली (RAS) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ

दायर तारीख 04.10.2016

प्रार्थनापत्र संख्या :– 167 / 2016

अनवान

01. कालू पिता मोतीलाल जाति रेगर उम्र बालिग निवासी चांदजी की खेडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा ....वादी

बनाम

1. मदनलाल पिता नन्दा जाति खटीक उम्र बालिग निवासी बिजौलिया कला तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. मांगीलाल पिता नन्दा जाति खटीक उम्र बालिग निवासी बिजौलिया कला तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. श्यामलाल पिता नन्दा जाति खटीक उम्र बालिग निवासी बिजौलिया कला तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. सुड़ी पुत्री नन्दा जाति खटीक उम्र बालिग निवासी बिजौलिया कला तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. चांदी पुत्री नन्दा जाति खटीक उम्र बालिग निवासी बिजौलिया कला तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. दाखी पुत्री नन्दा जाति खटीक उम्र बालिग निवासी बिजौलिया कला तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. लाली बेवा नन्दा जाति खटीक उम्र बालिग निवासी बिजौलिया कला तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0) **(नाम हटाया गया 6.9.2017)**
8. रामस्वरूप पिता हरजी जाति खटीक उम्र बालिग निवासी बिजौलिया कला तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
9. गणेश पिता हरजी जाति खटीक उम्र बालिग निवासी बिजौलिया कला तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
10. नारायगण पिता हरजी जाति खटीक उम्र बालिग निवासी बिजौलिया कला तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
11. कंचन पुत्री हरजी जाति खटीक उम्र बालिग निवासी बिजौलिया कला तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
12. रूकमा पुत्री हरजी जाति खटीक उम्र बालिग निवासी बिजौलिया कला तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
13. रोड़ी बेवा हरजी जाति खटीक उम्र बालिग निवासी बिजौलिया कला तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0) **(मृतक)**
14. लालू राम पिता भैरू जाति खटीक निवासी बिजौलिया कला तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
15. राजूलाल पिता भैरू जाति खटीक निवासी बिजौलिया कला तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
16. जयप्रकाश पिता तुलसीराम जाति खटीक निवासी बिजौलिया कला तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
17. सुशीला पुत्री तुलसीराम जाति खटीक निवासी बिजौलिया कला तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
18. प्रेमदेवी बेवा तुलसीराम जाति खटीक निवासी बिजौलिया कला तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
19. दीपक पिता चन्द्रप्रकाश नाबालिग बवलायत माता पुष्पा देवी बेवा चन्द्रप्रकाश खटीक जाति खटीक उम्र बालिग निवासी बिजौलिया कला तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
20. कल्पना पिता चन्द्र प्रकाश नाबालिग बवलायत माता पुष्पा देवी बेवा चन्द्रप्रकाश खटीक जाति खटीक उम्र बालिग निवासी बिजौलिया कला तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
21. पुष्पा देवी पत्नि चन्द्र प्रकाश खटीक जाति खटीक निवासी बिजौलिया कला तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि.-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

Scanned by CamScanner

22. श्रीमान् भूमिधारी महोदय, तहसीलदार बिजौलियां
23. नाराण पिता हरजी जाति खटीक उम्र बालिग निवासी बिजौलिया कला तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री सुनील बाकलीवाल अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :– 31.01.2019

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री लक्ष्मीलाल सुराणा ने दिनांक 04.10.2016 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बिजौलिया कला पटवार हल्का बिजौलियां के आराजी संख्या 792 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा के 9/24 हिस्से का खातेदार काश्तकार हैं। उक्त आराजीयात में 1/7 हिस्सा नारायण पिता हरजी खटीक निवासी बिजौलिया का एवं बकाया हिस्सा 6/7 में से 9/24 प्रार्थी का घटाने के बाद दीपक, कल्पना एवं पुष्पा देवी खटीक निवासी बिजौलिया का है। प्रार्थी द्वारा जब उक्त आराजीयात को पूर्व खातेदारों से क्रय किया गया एवं पूर्व खातेदारों के कब्जेयाबी जगह पर कब्जा किया गया तभी से इस आराजीयात के सह काश्तकारों द्वारा प्रार्थी के साथ गलत व्यवहार किया गया एवं हर समय परेशानी का सबब बने इस कारण प्रार्थी द्वारा इस प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने से पूर्व एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–88 रा0 टि0 एक्ट के तहत मौके पर कब्जा अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर बंटवाड़ा किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है जो न्यायालय हाजा के यहां गैर पेण्डिग हैं। प्रार्थी आराजी संख्या 792 के अपने हिस्से जो नजरी नक्शे में ए बी सी डी से दर्शाया गया है उस पर जाने का रास्ता पार्श्वनाथ तीर्थ क्षैत्र जाने वाली डामरी सड़क से पूर्व दिशा में बिलानाम आराजीयात पर होते हुए आराजी संख्या 1657/802 की दक्षिणी मेड पर होते हुए जाता हैं। जिसकों नजरी नक्शे में लाल स्याई से दर्शाया गया हैं। राजस्व रेकॉर्ड में उक्त रास्ते का अंकन नही होने से प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रास्ते की मांग की हैं। रास्ता हेतु दर्ज होने वाली आराजीयात की कीमत प्रार्थीया अदा करने को तैयार हैं। रास्ता आराजी संख्या 1657/802 में 15 फीट चौड़ा रास्ता प्रदान कराया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षीगण की तलबी करवायी गयी।

विपक्षीगण कमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 18 से 22, व 23 गैर हाजिर रहने से एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। क्रम संख्या 7 लाली खटीक की मृत्यु होने से नाम दिनांक 6.9.2017 को हटाया गया। क्रम संख्या 13 की भी मृत्यु हो चुकी हैं।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण कमांक 8, 9, 14, 15 की और से श्री मोहनलाल जोशी व सुमित जोशी ने अधिकार पत्र मय जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का इन्कार करते हुए अपने जवाब में अंकित किया कि प्रार्थी द्वारा पृथक से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया हैं जिसका विपक्षीगण किसी भी तरह से प्रभावित नही हैं। प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो सव्यय खारिज योग्य हैं। उक्त प्रकरण प्रार्थी द्वारा कृषि भूमि आराजी नम्बर 792 के हिस्से पर पूर्व के खातेदार उक्त आराजी नम्बर 792 के पश्चिम में स्थित आराजी संख्या 1657/802 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा कृषि भूमि के मध्य में स्थित रास्ते से होकर आते जाते थें। तथा उक्त खातेदार द्वारा प्रार्थी को विक्रय किये जाने के पश्चात भी प्रार्थी उक्त पूर्व के रास्ते से आता जाता हैं। जिसके लोहे की फाटक लगी हुई हैं। ऐसी स्थिति में जब प्रार्थी के द्वारा क्रय कृषि भूमि आराजी नम्बर 792 के हिस्से में पहुचने के लिए आराजी संख्या 1657/802 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वां भूमि के मध्य स्थाई रास्ता हैं। प्रार्थी वैकल्पिक रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नही हैं। केवल मात्र राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही होने मात्र से प्रार्थी स्वयं की इच्छानुसार अन्य रास्ता मांगने का अधिकार नही रखता हैं। आराजी नम्बर 1657/802 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वां भूमि के दक्षिण दिशा की और रास्ता प्राप्त करने का अनुतोष चाहा गया ।

लगातार पेज संख्या 03 पर

Scanned by CamScanner

जब उक्त आराजी नम्बर 1657/802 के मध्य मे रास्ता स्थित हैं। लोहे की फाटक पूर्व से त हैं। ऐसी स्थिति में जब प्रार्थी को स्वयं की कृषि भूमि पर आने जाने के लिए रास्ता उपलब्ध है तथा र वर्ष काश्त करने हेतु प्रार्थी उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग कर रहा हैं। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्रवण योग्य नही हैं। प्रार्थना पत्र खारिज योग्य हैं।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 राजस्व ग्राम बिजौलिया कलां खाता संख्या 190 (172) बाबत आराजीयात 792, नक्शा ट्रैस आराजी संख्या 792 एवं 1657/802 संयुक्त, नकल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 तक की राजस्व खाता संख्या 375 (352) राजस्व ग्राम बिजौलिया कलां बाबत् आराजी संख्या 1657/802 प्रस्तुत की हैं।

इस प्रकरण में तहसीदार बिजौलियां से मौका रिपोर्ट मांगी गई। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट क्रमांक /राजस्व/2018/1626 दिनांक 12/12/2018 में अंकित किया गया कि रिकॉर्ड आराजी नम्बर 792/1 रकबा 1–12 बीघा किस्म नहरी – द्वितीय कालू पिता मोतीलाल रेगर सा. चान्दजी की खेडी के खातेदारी दर्ज हैं। उक्त आराजी में जाने के लिए शक्करगढ चौराहे से एन.एच. 27 को जोड़ने वाले बाई–पास सड़क से जो पहुंच मार्ग है उसके बीच में आराजी नम्बर 802 रकबा 9–02 बीघा किस्म गैर मुमकिन बिलानाम गैर काबिल काश्त तथा आराजी नम्बर 1657/802 रकबा 1–03 बीघा किस्म बारानी–द्वितीय खातेदारी भूमि आती हैं।

प्रार्थी की भूमि पर पहुंचने के लिए बिलानाम आराजी नम्बर 802 तथा खातेदारी आराजी नम्बर 1657/802 में से लघुत्तम रास्ता हैं। उक्त भूमि पर पहुंचने के लिए आराजी नम्बर 1657/802 के दक्षिणी मेड से लगता हुआ 4 मीटर चौड़ा 20 मीटर लम्बा यानी रकबा 0–01 बीघा तथा बिलानाम आराजी नम्बर 802 रकबा 9–02 बीघा में से 4 मीटर चौड़ा 28 मीटर लम्बा (112 वर्ग मीटर) यानी 0–01 बीघा भूमि उक्त आराजी में पहुंचने हेतु लघुत्तम रास्ता है। उक्त आराजी में पहुंचने के लिए इसके अलावा अन्य कोई लघुत्तम रास्ता नहीं है।

बहस उभय पक्षकारान अधिवक्तागण की सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। चूंकि प्रार्थी की भूमि पर पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं। तहसीलदार की रिपोर्ट/मौका पर्चा अनुसार लघुत्तम रास्ता उपरोक्तानुसार ही प्रस्तावित हैं।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थी को स्वयं के खाते की भूमि आराजी नम्बर 792 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वां के 9/24 हिस्से में पहुंच मार्ग हेतु विपक्षीगण के नाम ग्राम बिजौलिया कलां की आराजी नम्बर 1657/802 में 0–01 बीघा (20X4 वर्गमीटर) एवं बिलानाम आराजी नम्बर 802 रकबा 9–02 बीघा में से 4X28 मीटर यानी 0–01 बीघा भूमि में रास्ता प्रदत्त किया जाता हैं। भूमि की डी.एल.सी. दर 25450/–रूपयें होकर भूमि का मालियत 12725/– रूपयें हैं। जिसकी दुगुनी 25450/– रूपयें तथा बिलानाम आराजी नम्बर 802 रकबा 9.02 बीघा में से 4X28 मीटर यानि 0.01 बीघा भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी। जिसकी डी.एल.सी. दर 25450/– रूपयें होकर भूमि की मालियत 12725/– रूपयें हैं। जिसकी दुगुनी 25450/– रूपयें राशि बनती हैं जो विपक्षीगण को भुगतान किया जावें अथवा विपक्षीगणों द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर राजकोष में मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति के रूप में जमा करावें। उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में गेमू रास्ता दर्ज करते हुये रास्ते को सिवायचक खाते (रास्ते/पगडंडिया आदि) में दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं।

उक्तानुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बिजौलिया को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2019 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां
बिजौलियां जि. भीलवाड़ा